न्यायालय, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 2673 /विधि सहरसा, दिनांक 13-9-2023

प्रतिलिपि :- जिला दण्डाधिकारी, सहरसा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आर्म्स अपील वाद सं0-33/2022 में दिनांक-12.09.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है।

प्रतिलिपि :- जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, सहरसा को उनके पत्रांक 1216 दिनांक 10.06.2022 से प्राप्त निम्न न्यायालय के अभिलेख / संचिका (टि0पृ0संख्या-01 से 08 तक तथा प0पृ0-01 से 62 तक) मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :-यथोपरि।

प्रतिलिपि :- सोनू कुमार सिंह, पिता-स्व0 देव कुमार सिंह, साकिन-अतलखा, वार्ड नं0-05, थाना-बसनहीं, जिला-सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 असिस्टेंट, को0प0 सहरसा को प्रेषित।

(3)

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0..............................से..............................तक

जिला..............................., सं0..............................., सन् १९...............................केस का प्रकार........

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
12/09/2023		

न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

आर्म्स अपील वाद संख्याः 33/2022

सोनू कुमार सिंह..............................अपीलकर्त्ता

–बनाम–

राज्य..........................रेसपॉण्डेन्ट

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत आर्म्स अपीलवाद सोनू कुमार सिंह, पिता–स्व0 देव कुमार सिंह, साकिन–अतलखा, वार्ड नं0–05, थाना–बसनही, जिला–सहरसा के द्वारा जिला दण्डाधिकारी, सहरसा के आदेश ज्ञापांक–27/सा0, दिनांक–05.01.2021 के विरूद्ध लाया गया है, जिसके द्वारा अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया।

अपीलार्थी के ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादपत्र में बताया गया है कि अपीलार्थी के दिवंगत दादा स्व0 राजेन्द्र प्रसाद सिंह को डी0बी0बी0एल0 गन की अनुज्ञप्ति संख्या–2771/47 दी गई थी तथा उक्त अनुज्ञप्ति पर उनके द्वारा गन संख्या–7505775 धारित किया गया, जिसे वर्ष 2018 तक समय–समय पर निरीक्षण कराया जाता रहा। राजेन्द्र प्रसाद सिंह के जीवित रहते उनके एक मात्र पुत्र देव कुमार सिंह की मृत्यु दिनांक 25.10.2017 को हो गई तथा उत्तराधिकारी के रूप में उनके एक मात्र पुत्र अपीलार्थी हैं। वर्ष 2018 में अनुज्ञप्तिधारी राजेन्द्र प्रसाद सिंह के द्वारा 87 वर्ष की उम्र हो जाने के कारण तथा लगातार बीमार रहने के परिपेक्ष्य में जिला दण्डाधिकारी, सहरसा को आवेदन समर्पित किया गया। जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि वे अंचल अधिकारी, कोशी प्रोजेक्ट सहरसा के पद से सेवानिवृत है तथा उन्हें अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या–2771/47 प्रदान किया गया, जिस पर धारित शस्त्र को वे अपने एक मात्र पौत्र अपीलार्थी सोनू कुमार सिंह को उनकी जान–माल की सुरक्षा हेतु हस्तांतरित करना चाहते है। उनके द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र दिनांक–16.01.2019 समर्पित किया गया। इसी दौरान दिनांक–10.03.2019 को अपीलार्थी के दादाजी का देहान्त हो गया। तत्पश्चात अपीलार्थी की माताजी के

उनके ससुर के नाम से जमा शस्त्र हस्तांतारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अपने दादा जी के मृत्योपरांत अपीलार्थी के द्वारा इस संबंध में सक्षम प्राधिकार को सूचित करने पर उनसे प्राप्त निदेश के अनुसार उक्त अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र को पुलिस लाइन, सहरसा स्थित मालखाना में तथा अनुज्ञप्ति पुस्तिका अन्य कागजातों के साथ जिला सामान्य शाखा, सहरसा में जमा कर दिया गया। उनके विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी कानून का पूर्णरूपेण पालन करने वाले नागरिक है तथा निम्न न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा अपने विरूद्ध किसी साक्ष्य को नहीं छुपाया गया है। पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा भी उनके विरूद्ध किसी प्रकार मुकदमा नहीं होने के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है, किन्तु विज्ञ समाहर्त्ता महोदय के द्वारा उक्त प्रतिवेदन का यह अर्थ ग्रहण कर लिया गया कि अपीलार्थी को जान-माल के आसन्न खतरे की आशंका नहीं है तथा आवेदक द्वारा मात्र भय के आलोक में शस्त्र अनुज्ञप्ति की मांग की गई है। उनके अनुसार विज्ञ समाहर्त्ता महोदय के द्वारा इस तथ्य की अनदेखी की गई कि आवेदक के दादा जी को उनकी अपनी तथा परिवार के जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा के लिए दिये गये शस्त्र अनुज्ञप्ति तथा उस पर धारित शस्त्र के कारण ही उनलोगों के जान-माल की रक्षा अब-तक हो पाई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि आवेदक सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित, खानदानी तथा जमीन जायदाद वाले व्यक्ति है। वर्त्तमान में भी उनके पास 15 एकड़ से अधिक पैत्रिक भूमि है। पूर्व में भी कई बार उनके दादा जी के द्वारा अपने अनुज्ञप्ति पर शस्त्र धारित करने के कारण अपराधियों से अपने तथा अन्य लोगों के जान तथा सम्पति की रक्षा की गई, परन्तु जिला दण्डाधिकारी, सहरसा द्वारा उनके अनुज्ञप्ति आवेदन को रद्द कर दिये जाने तथा इससे पूर्व ही आवेदक के द्वारा शस्त्र जमा कर दिये जाने के कारण कभी भी अपराधी सम्पत्तिहरण हेतु उनके जान को भी खतरे में डाल सकते है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी अपने दादाजी के एक मात्र पौत्र हैं, जिस कारण उन्हें अपनी सम्पत्ति तथा जीवन की रक्षा हेतु अपने दादाजी के उक्त बन्दूक के लिए अनुज्ञाप्ति की विशेष आवश्यकता है। उनका कहना है कि अपीलार्थी के द्वारा कोई सूचना अथवा केश पुलिस में दायर नहीं कराने का यह अर्थ कदापि नहीं लिया जाना चाहिए था कि अपीलार्थी को जान-माल का खतरा नहीं है, जैसा कि निम्न न्यायालय द्वारा लिया गया है। इस आधार पर अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को रद्द किया जाना गैर न्यायिक तथा कानून के प्रावधानों के विरूद्ध है। इसके अतिरिक्त उनका कहना है कि गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-8912, दिनांक 13.10.2014 द्वारा भी शस्त्र अनुज्ञप्ति धारित की

करने की स्थिति में उनके उत्तराधिकारियों को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने, शस्त्र के हस्तांतरण के संबंध में प्राप्त आवेदन की त्वरित जाँच कराकर अनुज्ञप्ति निर्गत करने का प्रावधान किया गया है। तदालोक में अपीलार्थी के द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को खंडित कर जिला दण्डाधिकारी, सहरसा को उन्हें शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु आदेश देने का अनुरोध किया गया है।

अपीलार्थी का पक्ष सुनने तथा वादपत्र, संलग्न कागजातों/ साक्ष्यों तथा निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका में संलग्न सुसंगत कागजातों के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी दिवंगत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के विधिक उत्तराधिकारी (Legal heir) है तथा पुलिस प्रतिवेदन में उनके विरूद्ध प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। अपीलार्थी को जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा के लिए शस्त्र अनुज्ञप्ति दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। तदालोक में शस्त्र नियम (Arms Rule), 2016 के नियम–25 के आलोक में जिला दण्डाधिकारी, सहरसा के आदेश ज्ञापांक–27/सा0 दिनांक 05.01.2021 को अपास्त करते हुए उन्हें अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का आदेश दिया जाता है। चूँकि अभिलेख पर संलग्न चरित्र/पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन वर्ष 2018 का है अतः जिला दण्डाधिकारी, सहरसा अद्यतन चरित्र/पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करने के उपरांत ही अनुज्ञप्ति निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। सभी संबंधितों को सूचित किया जाय तथा निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका/अभिलेख संबंधित कार्यालय को वापस भेजना सुनिश्चित करें।

12/21

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

12/21

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।